



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

१ श्रावण १८९६ (श०)

सं० पटना ७५४)

पटना, मंगलवार, २३ जुलाई १९७४

विधि विभाग

अधिसूचना

२४ जुलाई १९७४

सं० एन०जी०४-४५/७२-जे०—८३२—बिहार विधान-मंडल का विभाजित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति २३ जुलाई, १९७४ को अनुमति दे चुके हैं, द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

(बिहार अधिनियम १६, १९७४)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, १९७४

औद्योगिक क्षेत्रों को सुनियोजित विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय १ ।

१। संक्षिप्त नाम और विस्तार।—(१) यह अधिनियम बिहार-औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, १९७४ कहा जा सकेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा ।

२। परिभाषाएं।—जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) सुख-सुविधा को अन्तर्गत सड़क, जल-आपूर्ति, बाजार-सड़कों पर प्रकाश, जल-निकास, मल-प्रणाल, विद्यालय, आवास, अस्पताल और मनोरंजन की सुविधाएं तथा अन्य ऐसी सुविधाएँ और सुविधार्य हैं, जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को प्रयोजनार्थ सुख-सुविधा विनिर्दिष्ट करे ।

(ख) भवन को अन्तर्गत, कोई ऐसी संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का कोई ऐसा भाग है जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों में उपयोग के लिये प्राधिकृत हो चाहे वस्तुतः उसका उपयोग होता हो या नहीं ;

(ग) ध्वारणिक रूपभेदों सहित "विकास" से अभिप्रेत है, भूमि के अन्दर, भूमि पर, भूमि से ऊपर या उसके नीचे, निर्माण या इंजीनियरिंग संबंधी अथवा अन्य कोई कार्य निष्पादित करना या किसी भवन या भूमि में कोई तात्त्विक परिवर्तन करना, जिसको अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनों अथवा अन्य कार्यकलापों के लिए स्थान सृष्टि या रहित और लोक-निर्माण, मनोरंजन, सुख-सुविधाओं तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य मूल अपेक्षाओं की समीक्षा वित्त

- सुविधाओं के साथ औद्योगिक कार्यकलाप चलाने के लिये स्थावर
का उपबन्ध करना है और इसके अन्तर्गत पुनर्विकास भी है ;
- (प) उद्योग शब्द का यही अर्थ होगा जो अर्थ बिहार उद्योग राज्य साहाय्य
अधिनियम, १९५६ की धारा २ के खंड (३) में उसके लिए
दिया गया है ;
- (द) विकास-क्षेत्र से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन विकास क्षेत्र के
रूप में घोषित किया गया कोई क्षेत्र ;
- (च) औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत है ऐसा कोई क्षेत्र, जिसके लिए धारा
३ के अधीन प्राधिकार गठित किया गया हो ;
- (छ) विनियम से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन गठित प्राधिकार द्वारा;
इस अधिनियम के अधीन, बनाया गया विनियम ;
- (ज) नियम से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा
बनाया गया नियम ; और
- (झ) विहित से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा
बनाये गये नियमों में विहित ।

अध्याय २

१। औद्योगिक क्षेत्र विकास-प्राधिकार—लक्ष्य और उद्देश्य ।—(१) राज्य
सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा;
उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने के निमित्त, किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के
लिए एक प्राधिकार गठित कर सकेगी (इस अधिनियम में इसके प्राधिकार
के रूप में निर्दिष्ट) ।

स्पष्टीकरण—राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन, इस राज्य के एक या
अधिक क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकार या एक से अधिक प्राधिकार स्थापित कर
सकेगी । ऐसा प्राधिकार “(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार”
के नाम से ज्ञात होगा ।

(२) प्राधिकार पूर्वोक्त नाम से एक निगम निकाय होगा और उसे शाश्वत
उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर होगी तथा उसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों
का अर्जन, धारण और उनका निपटारा करने तथा ठेका करने की शक्ति होगी
तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उसपर वाद चलाया जा सकेगा ।

(३) (i) ऐसे किसी प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक तथा
पाँच अन्य निदेशक होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जो
राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त इस निमित्त विहित निबन्धनों और शर्तों पर अपना
पद धारण करेंगे ।

(ii) प्राधिकार के अध्यक्ष आयुक्त से अन्यून पंक्ति के सरकारी सेवक या सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति होंगे ।

(iii) राज्य सरकार, यदि ऐसा समीचीन हो तो, एक ही व्यक्ति को प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(४) प्रबन्ध निदेशक प्राधिकार का पूर्णकालिक पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक होगा तथा अध्यक्ष के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :—

- (क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा ;
- (ख) वह प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चों को पूरा करने के लिए धन निकालेगा ;
- (ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा ;
- (घ) वह किसी भी अन्य ऐसे कर्तव्य का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए ।

४। किसी क्षेत्र का विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना ।—(१) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली में विहित रीति से उठायी जानेवाली किसी आपत्ति पर विचार करने के बाद इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी औद्योगिक क्षेत्र के निकटवर्ती किसी क्षेत्र को विकास-क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी :

परन्तु बिहार भूमि उपभोग निबंधन अधिनियम, १९४८ की धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन पहले ही नियंत्रित क्षेत्र घोषित किये गए किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति आमंत्रित करना आवश्यक नहीं है ।

(२) इस अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन किसी क्षेत्र के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कम्पनी या व्यापारिक घराना या कोई निकाय (राज्य सरकार के किसी विभाग सहित) विहित नियमावली में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार के पृथक् अनुमोदन के बिना, ऐसे विकास-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी संरचना या भवन के निर्माण, परिवर्तन अथवा उसे ढाने का काम न हाथ में लेगा या न कार्यान्वित करेगा ।

(३) जबतक नियमावली में अन्यथा अनुबद्ध न हो तबतक किसी पृथक् भवन का निर्माण करने, खोदने या उसका खाका तैयार करने की अनुज्ञा के लिए

भावेदन करने और ऐसी अनुज्ञा देने या न देने की प्रक्रिया इस निमित्त बिहार भूमि-उपयोग विनियमन अधिनियम, १९४८ के उपबंधों के अनुसार ही होगी।

५। स्थापना।—प्राधिकार की अपनी स्थापना होगी, जिसके लिए वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियम बनाएगा।

अध्याय ३

प्राधिकार की शक्तियाँ और कर्तव्य

६। प्राधिकार की सामान्य शक्तियाँ और कर्तव्य।—(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, प्राधिकार, औद्योगिक क्षेत्र के सुनियोजित विकास (इस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने सहित) और उस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने और उससे आनुपंगिक सुख-सुविधाओं के लिए उत्तरदायी होगा।

(२) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र तथा उसकी सुख-सुविधाओं के आयोजन; विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन पट्टा-निष्पादन और ऐसा आवंटन पट्टा रहूँ करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने और उससे संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

(३) राज्य सरकार समय-समय पर, प्राधिकार को कोई ऐसा अन्य कार्य सौंप सकेगी जो औद्योगिक क्षेत्र और उसकी सुख-सुविधाओं के योजनावद्ध विकास या अनुरक्षण तथा उससे संबंधित बातों से संबद्ध हो।

(४) प्राधिकार को विकास-क्षेत्र की सड़कों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पत्ति पर हुए अधिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ बिहार-उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, १९२२ की धारा १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१ और २०२ में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ होंगी।

(५) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, आवास और विद्यालय जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण, अधिक्रमण हटाने, आदि के लिए, प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक में अन्य अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियाँ निहित कर सकेगी जिनका इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकार या कानूनी निकाय अथवा राज्य एजेंसी प्रयोग कर सकती हो।

(६) यदि प्राधिकार की राय में, उसके द्वारा किसी विकास-क्षेत्र में निष्पादित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप, विकास से लाभान्वित क्षेत्र की किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया हो, तो प्राधिकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सम्पत्ति को स्वामियों या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति पर विकास कार्य के निष्पादन के फल-स्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए, सुधार प्रभार लगा सकेगा।

परन्तु, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधिकृत भूमि पर कोई सुधार प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(७) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी संपत्ति को संबंध में सुधार प्रभार वह रकम होगा जो विकास-स्कीम का निष्पादन होने से पूर्व संपत्ति को भवन सहित मानकर प्राक्कलित मूल्य से विकास-स्कीम का निष्पादन पूरा हो जाने पर उसी रीति से प्राक्कलित संपत्ति का मूल्य जितना अधिक होता हो उसके एक-तिहाई के बराबर हो।

(८) प्राधिकार, राज्य सरकार से प्राप्त होनेवाले अनुदान, अग्रिम या अग्र-साहाय्य के अतिरिक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्रोतों से भी उधार ले सकेगा।

७। वित्तीय शक्तियाँ।—(१) प्राधिकार को अपनी निधि होगी जिसका वह अनुरक्षण करेगा और जिसमें निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी :—

- (क) प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन ;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सारी फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्माने ;
- (ग) प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन ;
- (घ) प्राधिकार द्वारा वित्तीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किए गए ऋण-पत्रों (डिबेंचर) से प्राप्त सभी धन।

(२) जबतक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी धन इसकी निधि में जमा किए जाएंगे जो (निधि) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और या एक अथवा अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास रखी रहेगी और उसमें से निकाली, जब और जैसे प्राधिकार को अपेक्षित होगी, की जाएगी।

८। बजट।—(१) प्राधिकार हरेक वर्ष एक अगले वित्त-वर्ष के लिए एक बजट परित करेगा, जिसमें प्राधिकार के प्राक्कलित आमद-खर्च दिखाए रहेंगे, और उतनी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और, राज्य सरकार ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सगीचीन समझे जाए।

(२) प्राधिकार समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और तुलना-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(३) प्राधिकार का लेखा प्रतिवर्ष महालेखापाल, बिहार द्वारा संपरीक्षित होगा और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में इसके द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकार द्वारा महालेखापाल, बिहार को देय होगा। महालेखापाल को प्राधिकार के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में वे सभी विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जिनका वह, सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में, हकदार है।

(४) महालेखापाल, बिहार या इसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकार का लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ अग्रसारित किया जाएगा।

अध्याय ४

प्रकीर्ण उपबन्ध

६। (१) राज्य सरकार प्राधिकार को प्रयोजनार्थ अपेक्षित किसी भूमि का भ्रजन कर सकेगी जो प्रयोजन, भू-भ्रजन अधिनियम, १८६४ के अधीन लोक प्रयोजन समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार, विकास या उपयोग के प्रयोजनार्थ, बिहार राज्य में निहित कोई विकसित या अविकसित भूमि प्राधिकार को सरकार द्वारा यथाविनिश्चित निबन्धनों और शर्तों पर पट्टा विलेख द्वारा अंतरित कर सकेगी।

(३) यदि उप-धारा (२) के अधीन प्राधिकार को जिम्मे इस प्रकार दी गई कोई भूमि किसी समय राज्य सरकार के लिए अपेक्षित हो तो प्राधिकार इसे राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर देगा।

१०। प्राधिकार का हरेक निदेशक तथा हरेक पदाधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड-संहिता की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक-सेवक समझा जायगा।

११। फीस, लगान या प्रभार मद्धे, अथवा भूमि, मकान या अन्य चल और प्रचल सम्पत्ति के निपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के रूप में प्राधिकार को देय कोई धन प्राधिकार द्वारा बिहार लोक भांग वसुली अधिनियम (पब्लिक डिमांड्स रिकवरी ऐक्ट), १९१४ के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकता है।

१२। शास्ति।—(१) कोई व्यक्ति जो संरचना या अधिक्रमण हटाने के संबंध में प्राधिकार द्वारा इस निमित्त बनाये गए किसी विनियम का उल्लंघन करके भूमि या धन का उपयोग करे वह १०,००० रु० तक के जुर्माने से या छः महीने

तक को सादा कारावास से या दोनों से और अपराध जारी रहने की दशा में उल्लंघन के हर दिन के लिए १०० रु० तक के प्रतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।

-(२) इस अधिनियम के अधीन अभियोग के संबंध में वसूल किये गये सभी जुर्माने प्राधिकार को चुकाए जाएंगे।

(३) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से अन्यून पंक्ति का कोई न्यायालय नहीं करेगा।

१३। यथापूर्वोक्त के सिवाय, इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के उपबन्ध, राज्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतर्जित किसी असंगत बात के होने पर भी, प्रभावी होंगे।

१४। राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और विशेषकर निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी :—

- (क) प्राधिकार की भूमि पर हुए अधिक्रमण को हटाना।
- (ख) अप्राधिकृत संरचनाओं को हटाना ;
- (ग) ऐसे भवनों को गिराना, जिनसे योजना में बाधा पड़ती हो या जो प्राधिकार के विनियमों का उल्लंघन करते हुए खड़े किये गये हों ;
- (घ) प्राधिकार के कर्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विषयों पर, प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार की रिपोर्टों और विवरणियों का उपस्थापन। और
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों का जारी किया जाना, जिनमें इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक सिद्धांत अधिकथित हों।

१५। प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शासकीय गजट में संक्षेप प्रकाशित कर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी।

१६। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये ऐसे कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो।

१७। जब राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि जिस प्रयोजन के निमित्त अधिनियम के अधीन प्राधिकार की स्थापना हुई थी, वह पूर्णतः रूप से पूरा हो चुका है, जिससे प्राधिकार का बना रहना अनावश्यक हो चला है, तब, सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि प्राधिकार अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से विघटित हो जायगा; और तदनुसार प्राधिकार उक्त तारीख से विघटित समझा जायगा और प्राधिकार की संपत्तियाँ, निधि और उसके द्वारा वसूलनीय सभी पावने उसके दायित्वों के साथ राज्य सरकार पर न्यायग हो जायेंगे।

१८। निरसन और न्यायवृत्ति।—(१) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वितीय अध्यादेश, १९७४ (बिहार अध्यादेश सं० ८०, १९७४) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायगी भानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त या जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

कृष्णदेव प्रसाद,
सरकार के मपर-सचिव।

अधीक्षक, अधिवासन मंत्रालय, विभाग, पटना द्वारा मुद्रित तथा अधीक्षक,
राष्ट्रीय प्रकाशन-समन्वय मंत्रालय द्वारा प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित।

बिहार गजट (प्रसाधारण), ७५४—लाईनो—२९९०—२१९—ग०व०मा०